

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 114 / 2017 / बाड़मेर
अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- | | | |
|---|------|---|
| 1. भारतपुरी पुत्र कानपुरी जाति
स्वामी निवासी थान माता
हिंगलाज तहसील सिवाना
जिला बाड़मेर। | बनाम | 1. महादेव पुरी गोद पुत्र मिसरपुरी
2. तेजपुरी पुत्र जोगपुरी
3. बाबुपुरी पुत्र जोगपुरी जाति स्वामी
थान माता हिंगलाज तहसील
सिवाना जिला बाड़मेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिवाना
5. एस बी बी जे बैंक सिवाना। |
|---|------|---|

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व वाद संख्या 18/2017 बअनवान महादेवपुरी बनाम भारतपुरी वगैरह निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2017।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 53 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- | | | |
|--|------|---|
| 1. भारतपुरी पुत्र कानपुरी
2. तेजपुरी पुत्र जोगपुरी
3. बाबुपुरी पुत्र जोगपुरी जाति स्वामी
निवासीयान थान माता हिंगलाज
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर। | बनाम | 1. महादेव पुरी गोद पुत्र मिसरपुरी
जाति स्वामी निवासी थान माता
हिंगलाज तहसील सिवाना
जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिवाना
3. एस बी बी जे शाखा सिवाना |
|--|------|---|

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व वाद संख्या 18/2017 बअनवान महादेवपुरी बनाम भारतपुरी वगैरह निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.01.2018।



उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोंडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 22.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर यह अभिकथन किये कि सरहद मौजा थान माता हिंगलाज पटवार क्षेत्र गुडानाल तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 87

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 126 रकबा 03.13 बीघा, खसरा संख्या 143 रकबा 02.02 बीघा, खसरा संख्या 144 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 15 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 05.10 बीघा, खसरा संख्या 156 रकबा 04.15 बीघा, खसरा संख्या 159 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 290 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 291 रकबा 01.16 बीघा, खसरा संख्या 304 रकबा 04.10 बीघा, खसरा संख्या 305 रकबा 04.03 बीघा कुल रकबा 52.15 बीघा भूमि रेस्पोंडेंट/वादी संख्या 01 एवं अपीलांत/प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के सामलाती कब्जा काशत की भूमि है उक्त वर्णित भूमि में 1/4 हिस्सा रेस्पोंडेंट/वादी का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त खातेदारी का है तथा अपने हिस्से अनुसार काशत करते आ रहे है। दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प कोर्ट गुडानाल में रखी जाकर अपीलकर्तागण को किसी भी प्रकार की सूचना दिये बिना ही अपीलाकर्तागण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही उसी दिन अमल में लाई गई। प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान अपीलाकर्ता को होने पर न्यायालय हाजा में राजस्व अपील संख्या 124/2017 प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.08.2017 को रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद तहसीलदार सिवाना द्वारा न्यायालय आदेश की घोर अवहेलना कर एकतरफा विभाजन प्रस्ताव मौके पर गये बिना ही कार्यालय में बैठकर दिनांक 13.11.2017 को बनवाकर उस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही अन्तिम डिक्री जारी की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोंडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प कोर्ट गुडानाल में रखी जाकर अपीलकर्तागण को किसी भी प्रकार की सूचना दिये बिना ही अपीलाकर्तागण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही उसी दिन अमल में लाई गई। प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान अपीलाकर्ता को होने पर न्यायालय हाजा में राजस्व अपील संख्या 124/2017 प्रस्तुत की गई। न्यायालय



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जायपुर

हाजा द्वारा दिनांक 03.08.2017 को रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। वादग्रस्त आराजी पर स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद तहसीलदार सिवाना द्वारा न्यायालय आदेश की घोर अवहेलना कर एकतरफा विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जे के प्रतिकूल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही अन्तिम डिक्री जारी की गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर पारित किया गया है। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि न्यायालय हाजा में प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील विचाराधीन होने एवं प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड को तलब कर दिया गया था जिस पर अपीलांट आश्वस्त था कि अब इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। अभी 15 रोज पूर्व उतरदाता संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 87 में अपीलकर्ता के मकान को हटाने हेतु जे सी बी लेकर आया धमकी दी कि उक्त खसरा में आधा हिस्सा मेरा घोषित हो चुका है तथा अपना कब्जा हटाओ तब अपीलकर्ता ने वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी दिनांक 27.04.2018 को प्राप्त की जिस पर उक्त वादग्रस्त खेतों में बंटवाड़ा होने का ज्ञान हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर नकले प्राप्त करने का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 01.05.2018 को आलोच्य आदेश की नकले प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक



राजश्व अपील प्राधिकारी
बाइनेर

नहीं। अपील पेश करने में हुई देशी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अतः लिमिटेसन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेसन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल उनके प्रतिहस्ताक्षर किये गये हैं। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सिवाना के राजस्व वाद संख्या 18/2017 बअनवान महादेवपुरी बनाम भारतपुरी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 व 01.01.2018को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।



22/04/19
(नखतदान बाड़मेर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/04/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर